कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–373 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी में ढांगधार–थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/21726/2015

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/64/2017/एफ0सी0/13 दिनांक 04–04–2022।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 1312/12–1 दिनांक 04.01.2025 के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–1)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–2)**
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.985 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम नवागांव तहसील कण्डीसौड की खसरा सं0 01 (मध्ये रकवा 5.925 हे0) व खसरा सं0 320 (मध्ये रक्वा 0.060 हे0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	(क) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.985 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम नवागांव तहसील कण्डीसौड़ में खसरा सं0–1 मध्ये रकवा 5.925 है0 व खसरा सं0 320 मध्ये रकवा 0.060 है0 कुल 5.985 है0 प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 24,41,832.00 (चौबीस लाख इक्तालिस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–3)**
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावोंमें प्रस्तुत किये गये	(ख) शर्त के अनुपालन में जिलधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 247/XXVI-11(2013-2014) दिनांक 03.08.2024 से वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किया गया है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि उक्त क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
	घ) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।	(घ) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम 50% ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है।**(संलग्न–5)**
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)**
5.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(क)** शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 38,68,854.00 (अड़तीस लाख अडसठ हजार आठ सौ चौवर रूपये मात्र) जमा करवाया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)** **(ख)** एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होगी तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–8)**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 378 वृक्ष एवं 187 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–6 का अनुपालन में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–9)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।
8.	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा काई और गतिविधि नही की जाएगी।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी। **(संलग्न–10)**
9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	शर्त संख्या 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)**
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**
12.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)**
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)**
16.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित है।	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)**
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
18.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	शर्त संख्या 18 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	शर्त संख्या 19 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)**
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)**
21.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–23)**
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–24)**
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–25)**
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या– 2173 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा, टिहरी गढवाल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण